

14  $\frac{5}{85}$

पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी हाजिर।  
वकील प्रार्थी को पूर्व में भी आक्षेप

हिकायत दी गयी थी कि आपसी  
पेशी पर तामिल की वशीदे पेश  
करे अन्यथा आदेश ७ नियम  
५ के तहत आदेश पारित  
किया जायेगा। लेकिन आज दिनांक  
तक तामिल की वशीदे पेश  
नहीं। अतः पार्थी का आवेदन  
212 RTI आदेश ७ नियम ५ के  
तहत खारिज किया जाता है।  
पत्रावली फंसल शुमार होकर  
नम्बर से कम होकर दाखिल  
दफतर हो।

**उपसहय अधिकारी**  
**दातारामगढ़ (सीकर)**